(दीपा कटारे)
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण दर्ज दिनांक ....

प्रकरण क्रमांक : Tr. No 10/2021 CGRERA-P-EXE-M-PRO-2019-00906

आवेदक : Smt. लक्ष्मी त्रिवेदी V/s आरोग्यम् /

14.09.2021	प्रकरण आज वी.सी. के माध्यम से सुनवाई में लिया गया।

आवेदिका द्वारा श्री भावनानी अधिवक्ता।
अनावेदकगण एकपक्षीय।

प्रकरण आज आर.आर.सी. जारी किये जाने हेतु नियत है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित है कि माननीय प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10.09.2020 को आदेश पारित कर अनावेदक को Rs. 7,98,425/- (सात लाख अंठयानबे हजार चार सौ पच्चीस रू. मात्र) दो माह के भीतर, आवेदिका को, भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन हेतु यह निष्पादन प्रकरण प्रस्तुत किया गया है नोटिस तामिली पश्चात् अनावेदक अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होते रहे हैं किन्तु दिनांक 31.08.2021 से अनावेदक को उनकी अनुपस्थित में उनके विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गई और अनावेदकगण ने आवेदिका को आदेशित राशि का भुगतान भी नहीं किया हैं। ऐसी दशा में आदेशित राशि की वसूली हेतु धारा– 40(1) छ.ग. भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016, एवं अंतर्गत नियम 25 छ. ग. भू–संपदा (विनियमन और विकास) नियम 2017. के तहत आर. आर.सी. जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः Rs. 7,98,425/- (सात लाख अंठयानबे हजार चार सौ पच्चीस रू. मात्र) की वसूली हेतु आर.आर.सी. कलेक्टर महोदय को इस टीप के साथ जारी की जावे कि वे वसूल की गई उपरोक्त राशि को प्राधिकरण में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। आर.आर. सी. तामिली हेतु रजिस्ट्रार महोदया को प्रेषित की जावे।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त। प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे।

न्याय निर्णायक अधिकारी

(दीपा कटारे)
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

Scanned with CamScanner